न्यायालय – श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

R-722-III/14

सिलोस्टो फार्मा. औद्योगिक संस्थान, सुभाष नगर, सागर
प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व. श्री सुन्दरलाल जैन,
निवासी चकराघाट वार्ड सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

--- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

B.O.R.

10 FEB 2014

– : विरुद्ध : –

(1) मोहन माकीजा पुत्र गिरधारी लाल माकीजा
(2) सुरेशचन्द्र माकीजा पुत्र मोहन माकीजा
दोनों निवासी – रविदास वार्ड, सागर

--- अनावेदकगण

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.) ... द्वारा प्रस्तुत

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अर्न्तगत–50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959
पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करता है :–

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय :– श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर म.प्र. के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 133 अ 70 वर्ष 2006–07 आदेश दिनांक 20.12.2013 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है :–

31
24/2/014

संक्षिप्त में प्रकरण के इस प्रकार हैं :–

(1) पुनरीक्षणकर्ता सिलोस्टो फार्मा. औद्योगिक संस्थान सागर प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल जैन द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था, कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सागर द्वारा आवेदक को औद्योगिक संस्थान सुभाष नगर के भूखण्ड क्र. 17 की रजि. लीज के द्वारा दी गई है। इस भूखण्ड पर आवेदक को पूर्ण कब्जा नहीं दिये जाने बावत् अनावेदक/मोहन माकीजा एवं सुरेशचन्द्र माकीजा के द्वारा अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण कार्य को हटवाने बावत् – आवेदन–पत्र दिनांकित 13.09.2004 को माननीय कलेक्टर महोदय, सागर के समक्ष – प्रस्तुत किया गया था जिससे पृष्ठांकित करते हुए इस निर्देश के साथ तहसीलदार, सागर, को प्रेषित किया था कि मामला में विस्तृत जांच करें। जिससे श्रीमान् तहसीलदार, सागर ने अपनी फाईल पर पंजीकृत करते हुए मामले की पूर्ण सुनवाई विधिवत कर रहे थे। इसी दौरान अनावेदकगण/मोहन माकीजा, सुरेशचन्द्र माकीजा की ओर से – एक आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 722/III/2014 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.4.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्र0क0 133/अ–70/06–07 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक व्दारा औद्योगिक संस्थान के प्लाट कमांक 17 के भूभाग 3 इंच X 20 फुट पर अवैध निर्माण किया है जिसके कारण तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 17–5–05 से मूल दावे को सुनवाई हेतु स्वीकार कर जवाव के लिये दिनांक 21–6–05 को प्रकरण नियत किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर सागर के यहॉ निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 77/अ–7/05–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–9–06 से निगरानी निरस्त हुई है । इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त , सागर संभाग, सागर	

के यहाँ निगरानी होने पर आदेश दिनांक 20.12.2013 से निगरानी निरस्त हुई है एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तहसीलदार के अंतरिम आदेश को उचित मानकर स्थिर रखा है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा– 44 एंव सहपठित 50 – निचले न्यायालयों के निष्कर्ष समरूप हों, तब वरिष्ठ न्यायालय को तथ्य संबंधी प्रश्नों पर पुर्नविचार नहीं करना चाहिये।

4/ उपरोक्त कारणों से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्र0क0 133/अ–70/06–07 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2013 विधिवत् पाने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें । अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

29/04/2011